न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 158/2024

अनवान : –

1. बलवीर सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. दर्शना देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 29/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 195/194 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

मुश्तरका खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हक हिस्सा होता है। लेकिन गैरसायल संख्या 1 आबादी के नजदीक खसरा नं. 184/2, 185, 247/2 में काबिज होकर बिना किस्म परिवर्तन करवाये प्लोटिंग व स्थाई निर्माण कर छोटे–छोटे टुकड़ो के रूप में बेचान कर करने की फिराक में है तथा सायल के कब्जा काश्त में जबरिया दखल देना चाहती है एवं सींव डोल से सम्बन्धित विवाद करती रहती है इसलिए सायल विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का मुताबिक किस्म अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के अनुसार खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवाना चाहता है। गैरसायला संख्या 1 जो कि काफी तेज तर्रार है तथा उपरोक्त भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये व बिना किस्म परिवर्तन करवाये खसरा नं. 184/2, 185, 247/2 में काबिज होकस्प्लोटिंग व स्थाई निर्माण कर छोटे–छोटे टुकड़ो के रूप में बेचान करने की धमकी देती है यदि गैरसायला संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी बाद में किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिए सायल गैरसायला संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना पाने का अधिकारी है कि वह बिना खाता विभाजन करवाये व बिना किस्म परिवर्तन करवाये वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:32:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 195/194 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की प्रार्थी व अप्रार्थी बिना संपरिवर्तन करवाये उक्त वाद भूमि में निर्माण कार्य न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की लेकिन गैरसायल संख्या 1 आबादी के नजदीक खसरा नं. 184/2, 185, 247/2 में काबिज होकर बिना किस्म परिवर्तन करवाये प्लोटिंग व स्थाई निर्माण कर छोटे–छोटे टुकड़ो के रूप में बेचान कर करने की फिराक में है तथा सायल के कब्जा काश्त में जबरिया दखल देना चाहती है एवं सींव डोल से सम्बन्धित विवाद करती रहती है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 195/194 की कुल 5.1470 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से का ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:32:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के हिस्से को अधिवक्ता प्राथी ने कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी द्वारा निर्माण किया जा रहा है एवं किस उद्येश्य के लिए किया जा रहा है अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:32:39 IST
Reason: SelfAttested